रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15052025-263112
CG-DL-E-15052025-263112

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2089] नई दिल्ली, बुधवार, मई 14, 2025/वैशाख 24, 1947
No. 2089] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 14, 2025/VAISAKHA 24, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2025

का.आ. 2136 (अ).— प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक का.आ. 4761(अ), तारीख 30 अक्टूबर, 2024, द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 30 अक्टूबर, 2024 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना की बाबत व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया था;

और, पश्चिमी बंगाल के 24-परगना जिले में 5.95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के हैलीडे द्वीप वन्यजीव अभयारण्य को पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार द्वारा तारीख 24.06.1976 की अधिसूचना सं. 5388 द्वारा अधिसूचित किया गया था।

और, हैलीडे वन्यजीव अभयारण्य मतला नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है जो वनस्पतियों और जीवों की एक अनूठी विविधता को अनुकूल वातावरण देते हुए संक्रमण क्षेत्र बनाता है और यह क्षेत्र 5.95 वर्ग किलोमीटर के इस सबसे छोटे सुंदरबन द्वीप के भीतर मैंग्रोव वनों और तटीय या तट से ऊपर स्थित तटीय वन वनस्पतियों-जीवों के संयोजन को उपयुक्त परिवेश देता है।

और, यह अभयारण्य गंगा डॉल्फिन (*प्लैटिनिस्टा गैंगेटिका*), एस्टुरीन मगरमच्छ (*क्रोकोडिलस पोरोसस*), फिशिंग कैट (*फेलिस विवरिना बेनेट*), एस्टुरीन ओटर (*लुट्रा लुट्रा*), सियार (*कॉइन्स ऑरियस*), चीतल (*एक्सिस एक्सिस*), जंगली सूअर (*सुस स्क्रोफा*) आदि सहित अनेक संवेदनशील प्रजातियों का आश्रय स्थल है।

और, इस अभयारण्य में अभिलिखित की गई पक्षी-जातीय प्रजातियों में कॉटन पिग्मी गूज (*नेट्टापस कोरोमेंडेलियनस*), कॉमन टील (*अनस क्रेका*), पिंटेल (*अनास एक्यूटा*), गैडवाल (*अनस स्ट्रेपेरा*), यूरोपीय हेरिंग गल (*लारस अर्जेंटाटस*), कैस्पियन टर्न (*हाइड्रोप्रोग्ने कैस्पिया*), ग्रेटर एडजुटेंट (*लेप्टोप्टिलोस डबियस गमेलिन*), व्हिम्ब्रेल (*नुमेनियस फियोपस*), पैसिफिक गोल्डन प्लोवर (*प्लुवियलिस फुलवा*), क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल (*स्पिलोर्निस चीला*), पेरेग्रीन फाल्कन (*फाल्को पेरेग्रीन*), लॉन्ग-टेल्ड नाइटजार (*कैप्रिमुल्गस क्लाइमाकुरस*) आदि शामिल हैं;

और, इस क्षेत्र में पाई जाने वाली मछली की प्रजातियों में गंगा शार्क (*ग्लिफिस गैंगेटिकस*), हैमर हेड शार्क (*स्फिरना ब्लोची*), गिटार फिश (*राइनोबेटोस अन्नाडेली*), हैंगर (*डासियाटिस सेफोर्स*), बटर फिश (*स्ट्रोमेटस साइनेंसिस*), सिल्वर पॉम्फ्रेट (*पैम्पस चिरेंसिस*), बंगाल टंग फिश (*सिनोग्लोसस सिनोग्लोसस*), गंगेटिक हेयरफिन एंकोवी (*सेटिपिन्ना फासा हैमिल्टन*), मोटल्ड ईल (*एंगुइला बेंगालेंसिस*), ब्लैकफिन सी कैट फिश (*एरियस जेला*), आदि शामिल हैं;

और, इस क्षेत्र में अभिलिखित की गई वनस्पति प्रजातियों में हरगुज़ा (*एकेंथस इलिसिफोलियस एल*), अमूर (*एग्ली कुकुलाटा* (*रॉक्सब*) *पेलेग्रिन*), लता सुंदरी (*बी. परविफ्लोरा*), बंजाई (*क्लेरोडेंड्रम इनर्मे* (*एल*) *गीर्टन*), मैथ गोरान (*सी. टैगल* (*प्रोटेट*) *सी.एस. रॉबिन्सन*), क्रिप (*लुम्नित्ज़ेरा रेसमोसा वाइल्ड*), दुधिलता (*फिनलेसोनिया ओबोवाटा एल*), गोलपाटा (*न्यपा फ्रूटिकन्स वुर्म्ब*), केया (*पांडनस टेक्टोरियस सोलैंड*), ओरा (*एस. ग्रिफिथि कुर्ज़*) आदि शामिल हैं;

और, पैरा 1 में निर्दिष्ट हैलीडे द्वीप वन्यजीव अभयारण्य के आस-पास के क्षेत्र का पारिस्थितिकीय, पर्यावरणीय और जैव-विविधता के दृष्टिगत पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन के रूप में संरक्षण और सुरक्षा करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणी और उनके प्रचालन और प्रक्रियाओं को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पश्चिमी बंगाल राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में हैलीडे द्वीप वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से लगे 2 किलोमीटर तक के क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करने का आशय रखती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन का विस्तार और सीमाएं** - (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन, हैलीडे द्वीप वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक समान 2.0 किलोमीटर के विस्तार क्षेत्र तक होगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र लगभग 26.81 वर्ग किलोमीटर है।

(2) हैलीडे द्वीप वन्यजीव अभयारण्य के आस-पास पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन की सीमा का विवरण **उपाबंध**-I में दिया गया है।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र का स्थलाकृतिक मानचित्र और गूगल इमेजरी मानचित्र **उपाबंध-II-क** और **उपाबंध-II-ख** में दिया गया है।

(4) हैलीडे द्वीप वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन की सीमा पर भू-निर्देशांक **उपाबंध-III** के **सारणी क** और **सारणी ख** में दिए गए हैं।

(5) कोई भी राजस्व गांव, पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन के भीतर अवस्थित नहीं है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना, ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है, के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हों, के अनुरुप तैयार की जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय तथ्यों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी :-

(i) वन;

(ii) पर्यावरण;

(iii) कृषि;

(iv) मत्स्य-पालन:

(v) पर्यटन;

(vi) सिंचाई और जलमार्ग;

(vii) आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा;

(viii) अंतर्देशीय जलमार्ग विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार;

(ix) पंचायती और ग्रामीण विकास; और

(x) सुंदरवन संबंधी मामले।

(4) आंचलिक महायोजना के अधीन अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं किया जाएगा जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना, सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में, जो अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी अनुकूल हों, का संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल स्रोतो के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे। पश्चिमी सुंदरवन वन्यजीव अभयारण्य से गुजरने वाली नदियों के 10 किलोमीटर तक के अधोप्रवाह में कोई भी

क्रियाकलाप, जिसके कारण तट कटाव, बाढ़, जल प्रदूषण, पारिस्थितिकीय और प्राकृतिक प्रवाह के रुकने की संभावना बढ़ सकती है, के लिए पश्चिम सुंदरवन वन्यजीव अभयारण्य के प्राधिकरण से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना अपेक्षित है।

(6) आंचलिक महायोजना में विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन किया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और पैरा 4 में सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना, प्रादेशिक विकास योजना की सह-विस्तारी होगी।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कार्यों को करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी।

(10) आंचलिक महायोजना की तैयारी और अनुमोदन लंबित रहने के दौरान, कोई भी नई विकासात्मक क्रियाकलाप उप-पैरा (1) और (2) के पैराग्राफ 6 में विनिर्दिष्ट उपबंधों द्वारा शासित होगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय - राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात :-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर उपर्युक्त भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्नों प्रयोजनों के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) तट स्थिरीकरण या संरक्षण संरचना और उपाय;

(ii) मौजूदा सड़कों या जेट्टी को चौड़ा और सुदृढ़ करना तथा पुलों, पुलिया आदि सहित नई सड़कों, जेट्टी का निर्माण करना;

(iii) नदी तलकर्षण और जलमार्गों का तलकर्षण;

(iv) सामाजिक रूप से वांछनीय सार्वजनिक अवसंरचना, बिजली, पेयजल, सिंचाई और अन्य बुनियादी नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीकरण;

(v) लोगों को प्राकृतिक आपदा अर्थात चक्रवात, तूफान आदि से बचाने के लिए आपदा आश्रय का निर्माण एवं नवीनीकरण और संबंधित कार्य;

(vi) ग्रामीण कारीगरों, आदि सहित कुटीर उद्योगों;

(vii) गृह वास सहित पारि-पर्यटन को बढ़ावा देने वाली स्थानीय सुविधाएं;

(viii) सुरक्षा बलों के शिविरों या गश्त शिविरों का निर्माण और नवीनीकरण; और

(ix) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

(ख) अप्रयुक्त भूमि, अनुत्पादक कृषि भूमि और कच्छ वनस्पति प्रजातियों वाले नदी तटों पर पुनर्ववनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

परंतु क्षेत्रीय नगर नियोजन अधिनियम तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 या वर्तमान में लागू किसी विधि जिसमें अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, के उपबंधों के अनुपालन के बिना वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास गतिविधियों के लिए जनजातीय भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी;

परंतु यह और कि यदि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-दस्तावेज में कोई त्रुटि दिखाई देती है तो उसे संबंधित संघ राज्य क्षेत्र या प्रशासन निगरानी समिति की राय लेकर ठीक, प्रत्येक मामले में केवल एक बार कर सकता है और ऐसे शुद्धिकरण के बारे में केंद्रीय सरकार अर्थात् मंत्रालय को अवगत कराना होगा;

परंतु यह भी कि उक्त त्रुटि सुधार के दायरे में इस उप-पैराग्राफ के अधीन दिए गए उपबंध को छोड़कर अन्य किसी भी मामले में भूमि-उपयोग में किया जाने वाला परविर्तन नहीं आएगा;

(2) **प्राकृतिक जल निकाय-** सभी प्राकृतिक झरनों के जलग्रहण क्षेत्रों को अभिज्ञात किया जाएगा और उनके संरक्षण तथा पुनरुद्धार की योजनाओं को आंचलिक महायोजना में सम्मिलित किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत इस तरह से तैयार किए जाएंगे कि इन क्षेत्रों में या इनके निकट ऐसी निर्माण क्रियाकलापों पर रोक लगाई जा सके जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक हो।

(3) **पर्यटन या पारि-पर्यटन**- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारि-पर्यटन, क्रियाकलापों या मौजूदा पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा;

(ख) पर्यटन महायोजना को राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से राज्य पर्यटन विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा;

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का ही एक घटक होगा;

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन के आधार पर तैयार किया जाएगा

(ड.) पारि-पर्यटन की गतिविधि का विनियमन निम्नानुसार किया जाएगा, यथा: -

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें से जो भी नजदीक हो, नए होटलों और रिसॉर्ट्स के किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

परंतु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से दूर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, नए होटलों और रिसॉर्ट्स की स्थापना की अनुमति केवल पर्यटन महायोजना के अनुसार पारि-पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व-निर्धारित और में ही किये जाने के लिए की जाएगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नई पर्यटन क्रियाकलापों या मौजूदा पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार और पारि-पर्यटन द्वारा जारी मार्ग दर्शक सिद्धांतों और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारि-पर्यटन मार्ग दर्शक सिद्धांतों (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार होगा, जिसमें पारि-पर्यटन, पारि-शिक्षा और पारि-विकास पर जोर दिया जाएगा;

(iii) जब तक आंचलिक महायोजना को अनुमोदित नहीं कर दिया जाता है, तब तक पर्यटन के लिए विकास और मौजूदा पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार की कोई अनुमति संबंधित नियामक प्राधिकरणों द्वारा तथा वास्तविक स्थल-विशिष्ट जांच और निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर दी जाएगी और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी भी प्रकार के नए होटल, रिसॉर्ट या व्यावसायिक प्रतिष्ठान के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(4) **प्राकृतिक विरासत**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थल, जैसे जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, चट्टान संरचनाएं, झरने, स्रोत, घाटियां, उपवन, गुफाएं, बिंदु, पैदल मार्ग, सैरगाह, चट्टानें आदि को अभिज्ञात किया जायेगा और आंचलिक महायोजना के रूप में उनके संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना तैयार की जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्य और सांस्कृतिक महत्व के भवनों, संरचनाओं, कलाकृतियों, क्षेत्रों और परिसरों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में उनके संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण की योजना तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 और उसके संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इन अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन होगा।

(8) **अपशिष्टों का निर्वहन**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में शोधित अपशिष्टों का निर्वहन, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इन अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट**- ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार होगा: -

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 08 अप्रैल, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना सं. का. आ. 1357(अ) तथा समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक सामग्री को पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर अभिज्ञात किए गए स्थल पर पर्यावरण स्वीकार्य तरीके से निपटाया जा सकता है।

(ख) स्थानीय अधिकारी ठोस अपशिष्ट को जैवनिम्नीकरण और अजैवनिम्नीकरण घटकों में अलग करने की योजना तैयार करेंगे।

(ग) जैवनिम्नीकरण सामग्री को प्रमुखत: खाद या कृमि के माध्यम से पुर्नचक्रित किया जाएगा।

(घ) अकार्बनिक सामग्री को पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर अभिज्ञात किए गए स्थलों पर पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकार्य तरीके से निपटाया जा सकता है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट को जलाने या भस्म करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(10) **जैव-चिकित्सा अपशिष्ट**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन निम्नानुसार होगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट निपटान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 28 मार्च, 2016 की अधिसूचना संख्या सा.का.आ. 343(अ), द्वारा प्रकाशित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर अभिज्ञात की गई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्टों का सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से सुप्रबंधन (ईएसएम) की अनुमति दी जा सकती है।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 18 मार्च, 2016 की अधिसूचना संख्या सा.का.आ. 340(अ), समय-समय पर यथा संशोधित, द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 29 मार्च, 2016 की अधिसूचना संख्या सा.का.आ. 317(अ), समय-समय पर यथा संशोधित, द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(13) ई-अपशिष्ट- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट प्रबंधन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार तथा समय-समय पर यथा संशोधित अनुसार किया जाएगा।

(14) वाहनीय यातायात- वाहनों के आवागमन को पर्यावास अनुकूल रीति से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में विशिष्ट उपाबंध आंचलिक महायोजना में शामिल किए जाएंगे और जब तक आंचलिक महायोजना को तैयार नहीं कर लिया जाता है और इसे राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है, तब तक निगरानी समिति संबंधित अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन वाहनों के आवागमन के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) वाहन प्रदूषण- वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण स्वच्छ ईंधन के उपयोग के लिए लागू विधियों और प्रयासों के अनुसार किया जाएगा।

(16) औद्योगिक इकाइयां.-

(क) इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात्, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई भी नया प्रदूषणकारी उद्योग स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न किया गया हो फरवरी 2016 में, समय-समय पर यथा संशोधित, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में दिये गये उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को ही अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) पहाड़ी ढलानों का संरक्षण- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों पर ऐसे क्षेत्रों को इंगित किया जाएगा जहां किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

(ख) विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या अत्यधिक कटाव वाली ढलानों पर निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर निषिद्ध या विनियमित की जाने वाली क्रियाकलाओं की सूची-

पारिस्थितिकी-संवेदी ज़ोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) अधिनियम के उपबंधों, उसके अधीन बनाए गए नियमों और केंद्रीय सरकार की अन्य अधिसूचनाओं, विधियों और अधिनियमों, तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय में पर्यावरण, वन और वन्यजीव से संबंधित अधिसूचना, संख्यांक 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में तत्समय प्रवृत्त विधियों द्वारा शासित होंगे, अर्थात्: -

तालिका

क्र. सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और क्रशिंग इकाइयाँ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर घरों के निर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी खोदने सहित स्थानीय निवासियों की घरेलू जरूरतों को पूरा करने को छोड़कर, सभी नए और मौजूदा खनन (लघु और प्रमुख खनिज), पत्थर उत्खनन और उनके तोड़ने की इकाइयों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है; (ख) खनन कार्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश (आदेशों) के अनुसार किया जाएगा, जो तारीख 4 अगस्त, 2006 के टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम यूओआई के डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 202/1995, तारीख 21 अप्रैल, 2014 के गोवा फाउंडेशन बनाम यूओआई के डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 435/2012 और 2003 का आई ए. स. 1000, तारीख 03 जून, 2022 और पश्चात् कर्ता 2022 की आई

		ए. स. 1313777, निर्णय तारीख 20 अप्रैल, 2023 तथा 28 अप्रैल, 2023 है।
2.	प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि)।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले किसी भी नए उद्योग या विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। मौजूदा उद्योगों द्वारा प्रदूषण रोकथाम तकनीक और शोर अवरोधक स्थापित किए जाने चाहिए।
3.	प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी भी खतरनाक पदार्थ का उपयोग, उत्पादन या प्रसंस्करण ।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अशोधित अपशिष्टों का निर्वहन।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी भी नई आरा मिल को लगाने या मौजूदा आरा मिल के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
8.	पॉलिथीन बैग का प्रयोग।	प्रतिषिद्ध।
9.	जलाऊ लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
10.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/अपशिष्टों का निर्वहन।	प्रतिषिद्ध।
11.	सतही एवं भूजल का व्यावसायिक निष्कर्षण।	प्रतिषिद्ध।
12.	ठोस/प्लास्टिक/ई-अपशिष्ट और जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
13.	विदेशी प्रजातियों का समावेशन।	प्रतिषिद्ध।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
14.	होटलों और रिसॉर्टों की व्यावसायिक स्थापना।	संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के दायरे में या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, जो भी निकटतर हो, पारिस्थितिकी-पर्यटन संबंधी क्रियाकलापों के लिए छोटे अस्थायी ढांचों के सिवाय किसी भी नए वाणिज्यिक होटल और रिसॉर्ट की अनुमति नहीं दी जाएगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर से बाहर तक या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, जो भी निकटतर हो, सभी नई पर्यटन क्रियाकलाप या वर्तमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और प्रयोज्य मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप होने चाहिए।
15.	निर्माण संबंधी कार्यकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर दायरे में या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, जो भी निकटतम हो, किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी:

		परंतु, स्थानीय लोगों को स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भवन उप-नियमों के अनुसार पैराग्राफ 3 के उप-पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि पर निर्माण कार्य करने की अनुमति दी जा सकेगी: परंतु यह और कि प्रदूषण न फैलाने वाले लघु उद्योगों से संबंधित निर्माण संबंधी क्रियाकलापों को प्रयोज्य नियमों और विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार तथा सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेकर विनियमित किया जाएगा और न्यूनतम ही रखा जाएगा। (ख) एक किलोमीटर के दायरे से आगे इसे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
16.	लघु पैमाने के प्रदूषण न फैलाने वाले उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण, समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार प्रदूषण न फैलाने वाले उद्योग, तथा पारिस्थितिकी संवेदी जोन से स्वदेशी सामग्रियों से उत्पाद बनाने वाले जोखिम रहित, लघु एवं सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प-कृषि, बागवानी या कृषि-आधारित उद्योगों को अनुमति दी जाएगी।
17.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी, राजस्व या निजी भूमि पर से वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई को संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
18.	वन उत्पाद या काष्ठेतर वन उत्पाद का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
19.	विद्युत एवं संचार टावरों का निर्माण तथा केबल बिछाना एवं अन्य अवसंरचनाएं।	लागू विधियों के अधीन विनियमित भूमिगत केबलिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है।
20.	नागरिक सुविधाओं सहित अवसंरचना।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार शमन के उपाय करना।
21.	मौजूदा सड़कों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण उपशमन के उपाय करना।
22.	पर्यटन से संबंधित अन्य कार्यकलाप जैसे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के ऊपर हॉटर बलून, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स, आदि का उड़ान भरना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
23.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
24.	रात के समय वाहनों का आवागमन।	लागू विधियों के अधीन व्यावसायिक उद्देश्य के लिए विनियमित।
25.	स्थानीय समुदायों द्वारा डेयरी, डेयरी फार्मिंग, जलीय कृषि	स्थानीय लोगों के उपयोग के उद्देश्य से लागू विधियों के अधीन अनुमति दी गई है।

	और मत्स्य पालन के साथ-साथ की जा रही कृषि और बागवानी कार्य प्रथाएँ।	
26.	फर्मों, कॉर्पोरेटों और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर व्यावसायिक पशुधन और मुर्गीपालन की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा लागू विधियों के अधीन विनियमित।
27.	कृषि या अन्य उपयोग के खुला कुआँ, बोरवेल आदि।	विनियमित तथा यथा उचित प्राधिकारी द्वारा इस कार्यकलाप की निगरानी की जानी चाहिए।
28.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
29.	व्यावसायिक साइन बोर्ड और होर्डिंग्स।	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
30.	लकड़ी लाना ले जाना।	पश्चिम बंगाल पारगमन नियम, 2019 के अधीन विनियमित किया जाएगा।
31.	मछली पालन।	वन क्षेत्र के अंदर इसकी अनुमति नहीं है। अन्य क्षेत्रों में, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के नदी जल स्रोतों में प्रजातियों का पालन किया जाएगा और पालन फसल के रीति को विनियमित किया जाएगा।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
32.	जल संग्रहण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	सभी कार्यकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कुटीर उद्योग जिसमें ग्रामीण कारीगर आदि शामिल हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	नवीकरणीय ऊर्जा एवं ईंधन का उपयोग।	बायो-गैस, सौर प्रकाश आदि को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	बागवानी और औषधीय पौधों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	पर्यावरण अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	अवक्रमित भूमि/वन/पर्यावास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
42.	पर्यावरण जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति.-

केन्द्रीय सरकार द्वारा एक निगरानी समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होगें, अर्थात्:-

क्र.सं.	निगरानी समिति की संरचना	पद का नाम
(1)	(2)	(3)
(i)	जिला मजिस्ट्रेट, 24 परगना (दक्षिण) जिला, पश्चिम बंगाल सरकार।	अध्यक्ष, *पदेन;*
(ii)	पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में कार्यरत किसी गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसे राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक कार्यकाल के लिए तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए नामित किया जाएगा।	सदस्य;
(iii)	पारिस्थितिकी/पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ, जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्येक तीन वर्ष में नामित किया जाएगा।	सदस्य;
(iv)	राज्य सरकार द्वारा नामित जैव विविधता विशेषज्ञ।	सदस्य,
(v)	सिंचाई एवं जलमार्ग विभाग का एक प्रतिनिधि।	सदस्य, *पदेन;*
(vi)	सुंदरबन कार्य विभाग का एक प्रतिनिधि।	सदस्य, *पदेन;*
(vii)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि।	सदस्य, *पदेन;*
(viii)	मत्स्य विभाग का एक प्रतिनिधि।	सदस्य, *पदेन;*
(ix)	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि।	सदस्य - *पदेन;*
(x)	प्रभागीय वन अधिकारी, 24 परगना (दक्षिण) प्रभाग।	सदस्य सचिव, *पदेन।*

6. निगरानी समिति के कार्य. –(1) निगरानी समिति, वास्तविक स्थल-विशिष्ट स्थितियों के आधार पर, उन क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी जो कि भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में दी गई हैं और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में की जा रही हैं, इसके पैरा 4 की सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए, जैसा भी मामला हो, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण को संदर्भित की जा रही हो।

(2) जो क्रियाकलाप भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में न आती हों और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में की जा रही हों, इसके पैरा 4 के अधीन तालिका में विनिर्दिष्ट प्रतिसिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, की संवीक्षा निगरानी समिति द्वारा वास्तविक स्थल-विशिष्ट स्थितियों के आधार पर की जाएंगी और उससे संबंधित नियामक प्राधिकरणों को संदर्भित किया जाएगा।

(3) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक, इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।

(4) निगरानी समिति मामले दर मामले के आधार पर आवश्यकतानुसार विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संघों या संबंधित पणधारियों के प्रतिनिधि को आमंत्रित कर सकती है।

(5) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक की अवधि की अपनी क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उसी वर्ष 30 जून तक इस अधिसूचना में संलग्न **उपाबंध-IV** में विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को प्रस्तुत करेगी।

(6) केन्द्रीय सरकार, निगरानी समिति को उनके कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए जैसा भी उपयुक्त हो लिखित रूप में ऐसे निदेश दे सकती है।

7. **अतिरिक्त उपाय.–** केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हो, विनिर्दिष्ट कर सकती हैं।

8. **उच्चतम न्यायालय, आदि आदेश.-** इस अधिसूचना के उपबंध, यदि कोई हों, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित या पारित किए जाने वाले आदेशों के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/03/2024-ईएसजेड]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

हैलीडे आइलैंड वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमा विवरण

पारिस्थितिकी संवेदी जोन का नाम	**दिशा**	**विस्तार**	**आइलैंड/रेंज/क्षेत्र**	**गांव**	**विशिष्ट क्षेत्र (संरक्षित क्षेत्र खंड)**	**नदी**
हैलीडे द्वीप वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन	उत्तर	2 किलोमीटर रेडियस	शून्य	शून्य	शून्य	माल्टा
	पूर्व	2 किलोमीटर रेडियस	सुंदरबन बाघ रिजर्व	शून्य	सुंदरबन बाघ रिजर्व	माल्टा
	दक्षिण	2 किलोमीटर	शून्य	शून्य	शून्य	माल्टा
	पश्चिम	2 किलोमीटर रेडियस	सुंदरबन वन्यजीव अभयारण्य का पारिस्थितिकी संवेदी जोन	शून्य	शून्य	माल्टा

उपाबंध II-क

महत्वपूर्ण भू-निर्देशांकों के साथ हैलीडे आइलैंड वन्यजीव अभयारण्य का स्थलाकृतिक मानचित्र:

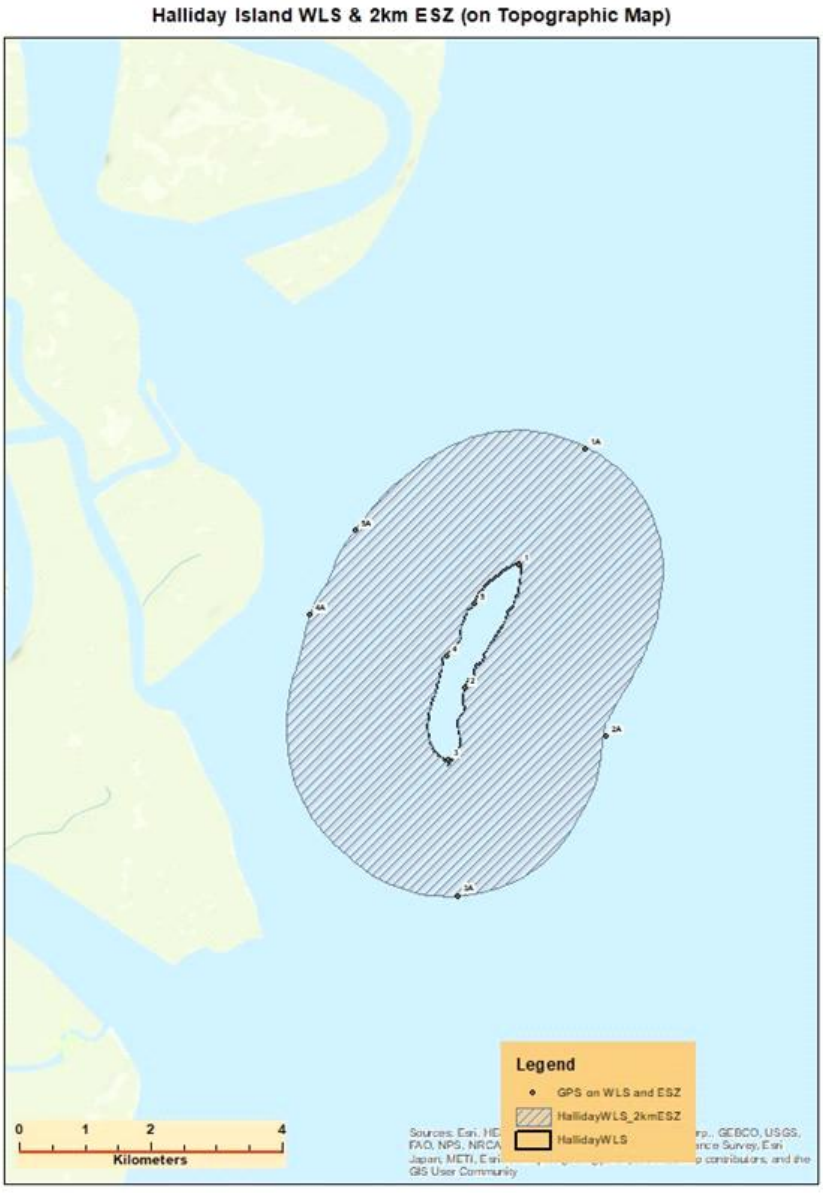

उपाबंध II-ख

महत्वपूर्ण भू-निर्देशांकों के साथ हैलीडे आइलैंड वन्यजीव अभयारण्य का गूगल इमेजरी मानचित्र ।

उपाबंध III

सारणी क: हैलीडे आइलैंड वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पर इसके भू-निर्देशांक

क्र.सं.	हैलीडे आइलैंड वन्यजीव अभयारण्य सीमा पर मार्गबिंदु	अक्षांश	देशान्तर
1.	1	21°40'29.508"उ	88°38'19.196"पू
2.	2	21°39'26.706"उ	88°37'52.668"पू
3.	3	21°38'53.14"उ	88°37'43.464"पू
4.	4	21°39'44.031"उ	88°37'41.84"पू
5.	5	21°40'10.559"उ	88°37'56.458"पू

सारणी ख: हैलीडे द्वीप वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा पर महत्वपूर्ण बिंदुओं के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा पर मार्गबिंदु	अक्षांश	देशान्तर
1.	1ए	21°41'25.812"उ	88°38'52.221"पू
2.	2ए	21°39'3.426"उ	88°39'1.425"पू
3.	3 ए	21°37'44.924"उ	88°37'48.878"पू
4.	4 ए	21°40'3.521"उ	88°36'36.331"पू
5.	5ए	21°40'45.208"उ	88°36'56.904"पू

उपाबंध-IV

कार्रवाई रिपोर्ट का रूपविधान :

1. बैठकों की संख्या और तारीख।
2. बैठक का कार्यवृत्त: (विचारणीय बिंदुओं का उल्लेख करें। बैठकों के कार्यवृत्त को एक अलग उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
3. पर्यटनीय मुख्य योजना सहित क्षेत्रीय मुख्य योजना के तैयारी की स्थिति।
4. मामलों का सार भू-दस्तावेजों में प्रकट होने वाली त्रुटियों को ठीक किए जाने से संबंधित है (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। विवरणों को उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों के लिए संवीक्षा किए गए मामलों का सारांश (विवरणों को एक अलग उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन सम्मिलित नहीं होने वाली क्रियाकलापों के लिए संवीक्षा किए गए मामलों का सारांश (विवरणों को एक अलग उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज शिकायतों का सार।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामलें।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May,2025

S.O. 2136 (E). – WHEREAS a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number S.O. 4761 (E), dated the 30th October, 2024, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on 30th October, 2024;

AND WHEREAS no objections, comments and suggestions were received from persons and stakeholders in respect of the said draft notification;

AND WHEREAS the Halliday Island Wildlife Sanctuary located in 24-Parganas district of West Bengal with an area of 5.95 square kilometres, was notified by the State Government of West Bengal *vide* notification No. 5388 dated the 24th June, 1976.

AND WHEREAS the Halliday Wildlife Sanctuary is situated at the confluence of the Matla river and the Bay of Bengal and forms a transitional ecotone which supports a unique diversity of flora and fauna and it is popular for its scenic beauty such as forest landscape with its riverine ecosystem and the area supports Mangrove forests and littoral or supra littoral forest flora-faunal assemblage within this smallest Sundarbans island of 5.95 square kilometers;

AND WHEREAS The Sanctuary also supports a number of vulnerable species including Gangetic Dolphin *(Platanista gangetica)*, Estuarine crocodile (*Crocodilus porosus*), Fishing cat *(Felis viverrina Bennett)*, Estuarine otter (*Lutra lutra*), Jackal *(Canis aureus)*, Chital *(Axis axis)*, Wild pig *(Sus scrofa)* etc.;

AND WHEREAS the avifaunal species recorded from the Sanctuary includes Cotton pygmy goose *(Nettapus Coromandelianus)*, Common Teal *(Anas crecca)*, Pintail *(Anas acuta)*, Gadwall *(Anas strepera)*, European Herring Gull (*Larus argentatus*), Caspian Tern (*Hydroprogne caspia*), Greater Adjutant (*Leptoptilos dubius (Gmelin*), Whimbrel (*Numenius phaeopus*), Pacific Golden Plover (*Pluvialis fulva*), Crested Serpent Eagle (*Spilornis cheela*), Peregrine Falcon (*Falco peregrines*), Long-tailed Nightjar (*Caprimulgus climacurus*) etc.;

AND WHEREAS the fish species found in the area includes Ganges Shark (*Glyphis gangeticus*), Hammer head Shark (*Sphyrna blochi*), Guitar fish (*Rhinobatos annandalei*), Hangar (*Dasyatis sephors*), Butter Fish (*Stromateus sinensis*), Silver Pomfret (*Pampus chirensis*), Bengal Tongue Fish (*Cynoglossus cynoglossus*), Gangetic Hairfin Anchovy (*Setipinna phasa (Hamilton*), Mottled Eel (*Anguilla bengalensis*), Blackfin Sea Cat Fish (*Arius jella*) etc.;

AND WHEREAS the floral species recorded from the area includes Harguza (*Acanthus ilicifolius L*), amur (*Aglaie cuculata (Roxb) Pellegrin*), Lata Sundari (*B. parviflora*), Banjai (*Clerodendrum inerme (L) Geartn*.), Math Goran (*C. Tagal (Prrottet) C.S. Robinson)*, Kripe (*Lumnitzera racemosa Wild*), Dudhilata (*Finlaysonia obovata L*), Golpata *(Nypa fruiticans Wurmb*.), Keya (*Pandanus tectorius Soland*), Ora (*S. griffithii kurz*) etc.;

AND WHEREAS it is necessary to conserve and protect the area, surrounding the boundaries of Halliday Island Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby intends to notify an area with an extent up to 2 kilometres from the boundary of Halliday Island Wildlife Sanctuary, in South 24 Parganas District in the State of West Bengal as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Halliday Island Wildlife Sanctuary Eco-Sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. Extent and boundaries of the Eco-Sensitive Zone.- (1) The Eco-Sensitive Zone shall be to an extent of uniform 2.0 kilometres from the boundary of Halliday Island Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is approximately 26.81 Square kilometres.

(2) The boundary description of Eco-Sensitive Zone around Halliday Island Wildlife Sanctuary is appended as **Annexure-I.**

(3) The topographical map and Google Imagery map of Eco-Sensitive Zone is appended as **Annexure-II-A** and **Annexure- II-B.**

(4) Geo Coordinates of the boundary of Halliday Island Wildlife Sanctuary and its Eco sensitive zone are appended as **Annexure -III-A** and **Annexure-III- B.**

(5) No revenue villages are located within the Eco-sensitive Zone.

2. Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of

this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan: -

(i) Forest;
(ii) Environment;
(iii) Agriculture;
(iv) Fisheries;
(v) Tourism;
(vi) Irrigation and Waterways;
(vii) Disaster Management and Civil defence;
(viii) Inland Waterways Department, Government of West Bengal;
(ix) Panchayati Raj and Rural Development;
(x) Sundarbans Affairs.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendlier.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention. Any activity upstream up to 10 kilometers over the rivers passing through the West Sundarbans Wildlife Sanctuary, which may increase the likelihood of bank erosion, flooding, water pollution, stoppage of ecological and natural flow which require a prior clearance from the Authority of the West Sundarbans Wildlife Sanctuary.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, green area, such as, parks, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

(10) Pending preparation and approval of the Zonal Master Plan, any new developmental activities shall be governed by provisions specified at paragraph 6 of sub-para (1) and (2).

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely: -

(1) **Land use.–** (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation

of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Central Government or the State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as :-

(i) Bank stabilisation or protection structure and measures.
(ii) widening and strengthening of existing roads or jetty and construction of new road, jetty including bridges, culverts etc.;
(iii) river dredging and dredging of waterways as per the applicable rules and guidelines;
(iv) construction and renovation of socially desirable public infrastructure, electricity, drinking water, irrigation and other basic civic amenities;
(v) Construction and renovation of disaster shelter and related works to protect people from natural disaster *viz.* cyclone, storm, etc.;
(vi) cottage industries including village artisans, etc.;
(vii) local amenities supporting eco-tourism including home stay;
(viii) Construction and renovation of security forces camp or patrolling camps, and
(ix) promoted activities given in paragraph 4:

(b) Effort shall be made to reforest or afforest the unused land, unproductive agricultural lands and river banks with mangrove species;

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007);

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change;

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph;

(2) **Natural water bodies.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism or Eco-tourism. -** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;

(b) the Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests;
(c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;
(d) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;
(e) the activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely: -

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer;

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development.

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution. -** Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 and as amended from time to time.

(7) **Air pollution. -** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made there under these Acts.

(8) **Discharge of effluents. -** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made there under these Acts.

(9) **Solid wastes. -** Disposal and Management of solid wastes shall be as under: -

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 and as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(c) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(d) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall he permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-Medical Waste. –** Bio-Medical Waste Management shall be as under: -

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016;

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) **Plastic waste management**. - The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) **Construction and demolition waste management. -** The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **E-waste. -** The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) **Vehicular traffic. –** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) **Vehicular pollution.-** Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) **Industrial units.–** (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone;

(b) only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) **Protection of hill slopes.-** The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-Sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under and other notifications, laws and Acts of the Government of India pertaining to environment, forests and wildlife, in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number 1533(E), dated the 14th September, 2006 and laws for the time being in force in the manner and as amended from time to time specified in the Table below, namely

TABLE

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
A. Prohibited Activities		

1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco-sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order(s) of the Hon'ble Supreme Court, dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995; dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012; and IA No. 1000 of 2003 dated the 03rd June, 2022 and subsequent IA No. 131377 of 2022 judgment dated the 26th April, 2023 and the 28th April, 2023.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted. Pollution prevention technologies and noise barriers should be installed by existing industries.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substance.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Use of polythene bags.	Prohibited.
9.	Commercial use of firewood.	Prohibited.
10.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
11.	Commercial extraction of surface and ground water.	Prohibited.
12.	Establishment of Solid/Plastic/E-Waste and Bio-Medical waste Management facility.	Prohibited.
13.	Introduction of Exotic species.	Prohibited.
B. Regulated Activities		
14.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or

		upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities; Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
15.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto for extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
16.	Small-scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
17.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
18.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated under applicable laws.
19.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws of underground cabling may be promoted.

20.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
21.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation with proper Environment Impact Assessment, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
22.	Undertaking other activities related to tourism like over flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
23.	Protection of Hill Slopes and riverbanks.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
25.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
26.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated as per applicable laws except for meeting local needs.
27.	Open Well, Bore Well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
28.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Movement of Timber	Shall be regulated as per the West Bengal Transit Rules,2019.
31.	Pisciculture	Not permitted inside the forest area. In other areas, species cultivated and method of cultivation will be regulated in the River Waters of Eco-sensitive Zone .
	C. Promoted Activities	
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
36.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
37.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.

38.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
39.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
40.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
41.	Restoration of Degraded Land or Forests or Habitat.	Shall be actively promoted.
42.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. **Monitoring Committee for Monitoring the Eco-Sensitive Zone Notification.-** There shall be a committee to be known as Monitoring Committee constituted by the Central Government which shall comprise of the following persons specified in the Table below, namely: -

S.No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(1)	(2)	(3)
(i)	The District Magistrate 24 Parganas (South) District, Government of West Bengal.	Chairman, *ex-officio;*
(ii)	A representative of a Non-governmental Organization working in the field of environment and wildlife conservation (including heritage conservation) to be nominated by the State Government from time to time every three years.	Member;
(iii)	An expert in the area of ecology and environment from a reputed University or Institution to be nominated by the State Government from time to time every three years.	Member;
(iv)	An expert in Biodiversity to be nominated by the State Government from time to time every three years.	Member,
(v)	A representative from Irrigation and Waterways Department, Government of West Bengal.	Member, *ex-officio;*
(vi)	A representative from Sundarbans Affairs Department.	Member, *ex-officio;*
(vii)	A representative from State Pollution Control Board.	Member, *ex-officio;*
(viii)	A representative from the Fisheries Department.	Member, *ex-officio;*
(ix)	Representative of Panchayat and Rural Development Department, Government of West Bengal.	Member¸ *ex-officio;*
(x)	Divisional Forest Officer, 24 Parganas (South) Division.	Member Secretary *ex-officio.*

6. Functions of the Monitoring Committee.– (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under

paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from concerned Department, representative from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in pro-forma specified in Annexure-IV, appended to this notification.

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. **Additional Measures.-** The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. **Supreme Court, etc. orders.-** The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/03/2024- ESZ]
DR. S. KERKETTA, Scientist 'G'

Annexure I

Boundary Description of the Eco-Sensitive Zone of Halliday Island Wildlife Sanctuary

Name of the Eco-Sensitive Zone	Side	Width	Island/ Range/ Area	Villages	Specific Areas (Reserve Forest Compartment)	Rivers
Halliday Island Wildlife Sanctuary Eco -Sensitive Zone	North	2 km radius	Nil	Nil	Nil	Matla
	East	2 km radius	Sundarbans Tiger Reserve	Nil	Sundarbans Tiger Reserve	Matla
	South	2 km	Nil	Nil	Nil	Matla
	West	2 km radius	Eco-Sensitive Zone of West Sundarbans Wildlife Sanctuary	Nil	Nil	Matla

Annexure II-A

Topographical Map of Halliday Island Wildlife Sanctuary with important points:

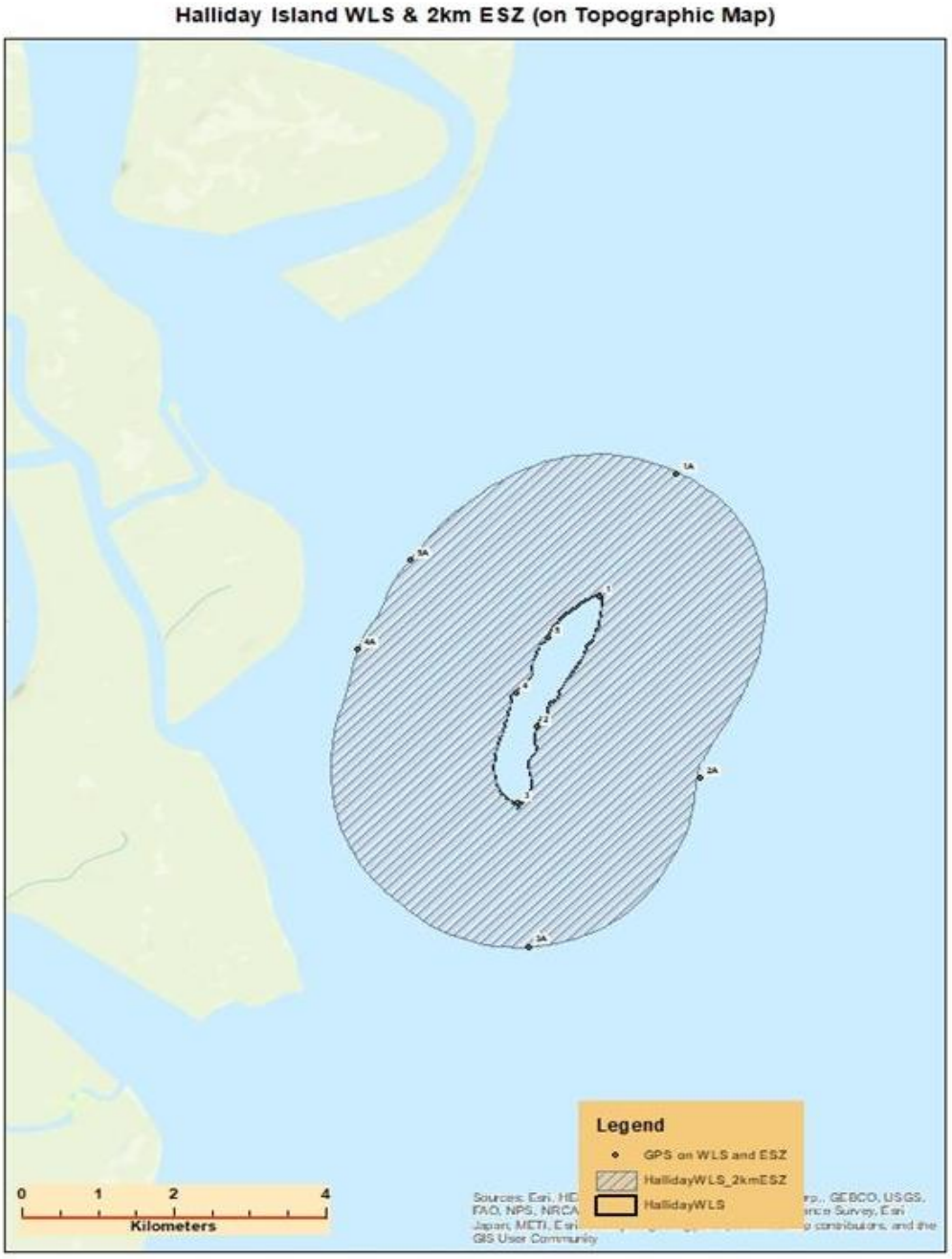

Annexure II-B

Google Imagery Map of Halliday Island Wildlife Sanctuary with important points.

Annexure III-A

GEO COORDINATES OF HALLIDAY ISLAND WILDLIFE SANCTUARY BOUNDARY

S. No	Waypoint on the Halliday Wildlife Sanctuary Boundary	Latitude	Longitude
1.	1	21°40'29.508"N	88°38'19.196"E
2.	2	21°39'26.706"N	88°37'52.668"E
3.	3	21°38'53.14"N	88°37'43.464"E
4.	4	21°39'44.031"N	88°37'41.84"E
5.	5	21°40'10.559"N	88°37'56.458"E

Annexure III-B

GEO COORDINATES OF THE IMPORTANT POINTS ON THE ECO-SENSITIVE ZONE BOUNDARY OF HALLIDAY ISLAND WILDLIFE SANCTUARY

S. No	Waypoint on the Eco-sensitive Zone Boundary	Latitude	Longitude
1.	1A	21°41'25.812"N	88°38'52.221"E
2.	2A	21°39'3.426"N	88°39'1.425"E
3.	3A	21°37'44.924"N	88°37'48.878"E
4.	4A	21°40'3.521"N	88°36'36.331"E
5.	5A	21°40'45.208"N	88°36'56.904"E

Annexure-IV

Proforma of Action Taken Report:

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.